

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260054
SG-DL-E-08012025-260054

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 01]	दिल्ली, बुधवार, जनवरी 8, 2025/पौष 18, 1946	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 329
No. 01]	DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 8, 2025/PAUSHA 18, 1946	[N. C. T. D. No. 329

भाग II—I
PART II—I

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जनवरी, 2025

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(5)/2025/1291.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

सं. 52/2025/एसडीआर/खंड-II.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि 85 वर्ष से अधिक आयु के निर्वाचक और शारीरिक निःशक्तता (बेंचमार्क) वाले निर्वाचक, जिन्हें राज्य की निर्वाचक नामावलियों के डाटा बेस में पहले से ही चिह्नित/इंगित किया गया हो, और जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा

उनके अनुरोध के सत्यापन की शर्त के अधीन हैं, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-III के प्रावधानों के अनुसार, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत 10 जनवरी, 2025 को अधिसूचित होने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं उत्तर प्रदेश में 273-मिल्कीपुर (अ. जा.) विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु में 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

बी.सी. पात्रा, सचिव

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, DELHI

NOTIFICATION

Delhi, the 8th January, 2025

No. CEO/COE/102(5)/2025/1291.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

No. 52/2025/SDR/Vol.II.—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the elector above the age of 85 years and elector with physical disability (benchmark) as already marked/flagged in the data base of the electoral rolls of the State and, who requests for voting by postal ballot paper and subject to the verification of their request by Returning Officer concerned, would be a class of persons to give their vote by postal ballot in the **current general election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi and bye elections to 273-Milkipur(SC) Assembly Constituency in Uttar Pradesh and 98-Erode(East) Assembly Constituency in Tamil Nadu**, to be notified on 10th January, 2025 under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961.

By Order,

B.C. PATRA, Secy.

By Order,

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi

अधिसूचना

दिल्ली, 8 जनवरी, 2025

सं. मु.चु.अ./चु.सं./102(5)/2025/1291.—निम्नलिखित को सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:—

भारत निर्वाचन आयोग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2025

सं. 52/2025/एसडीआर/खंड-II.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 60 के खंड(ग) के उपबंधों के अनुसरण में निर्वाचन आयोग एतद्वारा विनिर्दिष्ट करता है कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित कोविड-19 संदिग्ध या प्रभावित ऐसे व्यक्ति, जो डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए आवेदन करते हैं और जो संबंधित रिटर्निंग अधिकारी द्वारा उनके अनुरोध का सत्यापन किए जाने की शर्त के अधीन हैं, इस विषय पर निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्देशों एवं दिशानिर्देशों के साथ पठित, विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना का.आ.सं. 1964 (अ.) दिनांक 19 जून, 2020 के जरिए यथासंशोधित, निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के भाग-IIIक, के उपबंधों के अनुसार लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 30 के अंतर्गत 10 जनवरी, 2025 को अधिसूचित किए जाने वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधानसभा के वर्तमान साधारण निर्वाचन एवं उत्तर प्रदेश में 273-मिल्कीपुर(अ0 जा0) विधानसभा क्षेत्र और तमिलनाडु में 98-इरोड (पूर्व) विधानसभा क्षेत्र के उपचुनावों के लिए डाक मतपत्र द्वारा मतदान करने के लिए व्यक्तियों की एक श्रेणी होंगे।

आदेश से,

बी.सी. पात्रा, सचिव

आदेश से,

राजेश कुमार, विशेष मुख्य निर्वाचन अधिकारी, दिल्ली

NOTIFICATION

Delhi, the 8th January, 2025

No. CEO/COE/102(5)/2025/1291.—The following is published for general information:—

ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2025

No. 52/2025/SDR/Vol.II.—In pursuance of the provisions of clause (c) of Section 60 of the Representation of the People Act, 1951, the Election Commission hereby specifies that the Covid-19 suspect or affected person, certified by competent authority, who applies for voting by postal ballot paper, and subject to verification of their request by the Returning Officer concerned, would be a class of persons to give their vote by postal ballot in the **current general election to the Legislative Assembly of NCT of Delhi and bye elections to 273-Milkipur(SC) Assembly Constituency in Uttar Pradesh and 98-Erode(East) Assembly Constituency in Tamil Nadu, scheduled to be notified on 10th January, 2025** under Section 30 of the Representation of the People Act, 1951, as per the provisions in Part-III A of the Conduct of Elections Rules, 1961, as amended vide Ministry of Law & Justice, Govt. of India, Notification SO No. 1964(E), dated 19th June, 2020 read with the directions and guidelines issued by the Election Commission on the subject.

By Order,

B.C. PATRA Secy.

By Order,

RAJESH KUMAR, Special Chief Electoral Officer, Delhi